राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(92)वित्त–1(1)/आ.व्य./2008 जयपुर, दिनांक : 06 सितम्बर, 2019

:: परिपत्र ::

विषय :– चाईल्ड बजट स्टेटमेंट हेतु दिशा निर्देश।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के बजट में राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित महिलाओं एवं बालिकाओं के अनुपात को ध्यान में रखते हुए जेण्डर बजट स्टेटमेंट (GBS) पृथक से बजट खण्ड–4ब में शामिल किया गया है।

राज्य की जनसंख्या में महिलाओं के साथ ही 18 वर्ष तक के बालक/बालिकाओं का भी महत्तवपूर्ण भाग है। अतः बाल अधिकारों के प्रति सजगता, बालक/बालिकाओं के समुचित विकास तथा बाल संरक्षण से संबंधित योजनाओं के लिए राज्य बजट में पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य बजट में बालक/ बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण एवं विकास से संबंधित योजनाओं में किये गये प्रावधानों को समेकित कर वित्तीय वर्ष 2020–21 से राज्य बजट में चाईल्ड बजट स्टेटमेंट सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य बजट में प्रदर्शित किये जाने वाले चाईल्ड बजट स्टेटमेंट को तैयार करने हेतु विभागों/बजट नियंत्रण अधिकारियों के लिए निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

1. समस्त विभाग/बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा संचालित योजनाओं का विश्लेषण कर 18 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा विकास से संबंधित योजनाओं को चिह्नित किया जायेगा।
2. उपरोक्तानुसार चिह्नित योजनाओं में किये गये प्रावधान का विवरण चाईल्ड बजट स्टेटमेंट में सम्मिलित करने हेतु बजट प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
3. विभागों में जेण्डर संवेदी बजट तैयार करने हेतु गठित जेण्डर डेस्क को पुनर्गठित कर जेण्डर एवं चाईल्ड डेस्क स्थापित किए जावेंगे।

www.rajteachers.com

विभागों द्वारा बालक/बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा विकास से संबंधित चिह्नित की गई योजनाओं को समेकित कर बजट खण्ड–4ब में चाईल्ड बजट स्टेटमेंट में प्रदर्शित किया जावेगा। चाईल्ड बजट स्टेटमेंट में सम्मिलित योजनाओं में चालू वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान व संशोधित अनुमान तथा आगामी वर्ष के लिए बजट अनुमानों के अन्तर्गत किए गए प्रावधानों को दर्शाया जावेगा।

चाईल्ड बजट स्टेटमेंट तैयार कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग होगा। नोडल विभाग द्वारा उक्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत चाईल्ड बजट स्टेटमेंट तैयार कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव ।
3. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
4. समस्त विभागाध्यक्ष / बजट नियंत्रण अधिकारी।
5. आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवाएं को कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।
6. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।

निदेशक, वित्त (बजट)

www.rajteachers.com